Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में पुलिस थाना लखनपुर का थानाधिकारी 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 सितम्बर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी धौलपुर इकाई द्वारा आज भरतपुर में कार्यवाही करते हुये रामवतार बैरवा उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की धौलपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में मदद करने एवं रुपये वापस दिलवाने की एवज में रामवतार बैरवा उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर द्वारा **25 हजार रुपये** की रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी धौलपुर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामवतार बैरवा पुत्र श्री भजनलाल निवासी गोठड़ा, पुलिस थाना नादौती, जिला गंगापुरसिटी हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना लखनपुर, जिला भरतपुर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।